मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1996 सत्र

दैनिक कार्य-सूची

सोमवार, दिनांक २ सितम्बर, १९९६ (भाद्र ११, १९१८)

समय १०.३० बजे दिन.

निधन उल्लेख के बाद सभा की कार्यवाही स्थगित की गई.

१. निधन उल्लेख.

श्री निर्भय सिंह पटेल, सदस्य विधान सभा के निधन का उल्लेख.

२. प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जावेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

३. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(१) **श्री बाबूलाल गौर,** सदस्य, रीवा जिले के देवतालाब-तेंदुआ मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(२) **श्री बच्चन नायक,** सदस्य, जबलपुर जिले के-

(क) ग्राम बसाड़ी में हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले जाने,
(ख) ग्राम चनहटी के कृषि मजदूरों को भूदान यज्ञ बोर्ड की जमीन पट्टे पर दिलाये जाने,
(ग) ग्राम मुडेहरा के अनुसूचित जाति/जनजाति कृषकों को कृषि योग्य वन भूमि पट्टे पर दिलाये जाने, तथा
(घ) ग्राम चाका के अनुसूचित जाति के काश्तकारों की जमीन अन्य व्यक्तियों द्वारा कब्जा करने से बचाये जाने,

(३) **श्री झल्लूलाल तेकाम,** सदस्य, मण्डला जिले के-

(क) तवलपानी-मदनपुर सड़क की मरम्मत कराये जाने, तथा
(ख) सलवाह-अमरपुर मार्ग पर पुलिया बनाये जाने,

(४) **श्री रामपालसिंह,** सदस्य, रायसेन जिले के-

(क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उदयपुरा में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरे जाने,
(ख) शासकीय महाविद्यालय उदयपुरा के भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत किये जाने, तथा
(ग) कस्बा उदयपुरा में ३० बिस्तरों वाले चिकित्सालय भवन का निर्माण कराये जाने, एवं

(५) **श्री अमीन साय,** सदस्य, सरगुजा जिले के ग्राम कमारी में हाई स्कूल खोले जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय	
	४. नियम १३९ के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा.
१ घन्टा ३० मिनिट	प्रदेश में पेयजल की कमी एवं दूषित पेयजल से संक्रामक बीमारियां फैलने के कारण कई व्यक्तियों की मृत्यु होने के संबंध में सर्वश्री रामलखन शर्मा, बच्चन नायक, सुरेन्द्र वर्मा, गिरिराज मण्डलोई, गोपाल परमार, नेमीचंद जैन, रणजीत सिंह गुणवान, घनश्याम पाटीदार, डॉ. गोविंद सिंह, सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, गोपीकृष्ण नेमा, रघुनन्दन शर्मा, प्रेम प्रकाश पाण्डेय, छत्रपति सिह एवं बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्यगण चर्चा उठायेंगे.
	५. शासकीय विधि विषयक कार्य.
३ घन्टे (शेष ४५ मिनिट)	**श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल**, संसदीय कार्य मंत्री, द्वारा किये गये प्रस्ताव पर कि मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय विधेयक, १९९६ (क्रमांक ११ सन् १९९६) पर विचार किया जाय- चर्चा का पुनर्ग्रहण.
	उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

भोपाल.
दिनांक १ सितम्बर, १९९६.

अशोक चतुर्वेदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.